(1) इस्लामी मदरसों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों पर विचार

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा हिंद की प्रबंधन समिति की यह सभा इस्लामी मदरसों के संदर्भ में सरकारी और गैर-सरकारी शत्रुतापूर्ण रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करती है और इसे राष्ट्र एवं समाज के लिए एक बड़ी क्षति मानती है। इस्लामी मदरसे गरीब और पिछड़े भारतीय मुसलमानों की शिक्षा और प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, यह संस्थान मुस्लिम समुदाय के छात्रों के शैक्षिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और धार्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी इनकी भूमिका अनमोल है। देश की अखंडता, सुरक्षा और युवाओं में राष्ट्र की रक्षा और देशभक्ति की भावना पैदा करने में इनकी भूमिका अनुकरणीय रही है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों को सही रास्ते पर रखने, उन्हें नैतिक प्रशिक्षण से अलंकृत करने और अपराधों से मुक्त रखने में इस्लामी मदरसों की तुलना में कोई और संगठन या संस्थान नहीं है।

अजीब विडम्बना है कि देश और समाज के प्रति ऐसी बुनियादी सेवाओं को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ा वर्ग मदरसों को कोसने, बदनाम करने और अनुचित आलोचना करने में लगा हुआ है। भाजपा सरकार के कुछ मुख्यमंत्रियों और एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने जिस प्रकार मदरसों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार अपने बयानों से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और नकारात्मक उपाय किए हैं, वह किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है।
उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए यह सभा एक तरफ तो इस्लामी मदरसों से अपील करती है कि वह आंतरिक सुधारों पर ध्यान दें और इसके लिए 'तहफ्फुज मदारिस की मुस्तकिल कमेटी' (मदरसों की सुरक्षा संबंधी स्थाई समित) के प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें, दूसरी ओर यह सभा सरकार और सत्तासीन लोगों से जोरदार ढंग से मांग करती है कि मदरसों के खिलाफ लंबे समय से जारी इस प्रोपेगंडे पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(3) देश में बढ़ते नफरती अभियान और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

आज हमारे देश को इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ घृणा और भड़काऊपन का रोग लग गया है। सबसे अधिक निराशाजनक बात यह है कि इन बातों को देश की सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, भारत की सिविस सोसायटियों की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बावजूद जिस प्रकार देश को हिंदू-मुस्लिम और दलितों के बीच बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वह गांधी और नेहरू के भारत के लिए शर्मनाक है। निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए नफरत का जहर इतना घोल दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान और कॉलेज के छात्र तक इस महामारी का हिस्सा बन गए हैं। इसका एक उदाहरण मुंबई ट्रेन में कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा मुस्लिम परिवार के साथ दुर्व्यवहार है।

इन परिस्थितियों में देश की अखंडता और अच्छी छवि को लेकर जमीअत उलमा भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि:

(1) वह आत्म-अवलोकन से काम ले और नफरती भाषण और घृणा अपराधों की रोकथाम के लिए एक ठोस और मजबूत कार्य-योजना तैयार करे।

(2) आम चुनाव के अवसर पर जिन पार्टियों की ओर से नफरती बयान दिए जाते हैं, ऐसी पार्टियों की कानूनी मान्यता समाप्त कर दी जाए। अगर किसी उम्मीदवार ने बयान दिया है, तो उसकी उम्मीदवारी को समाप्त कर दिया जाए।

(3) सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अराजक तत्वों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए।

(4) विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार हिंसा के लिए भड़काने वालों को विशेष रूप से सजा देने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए और सभी अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए।

(5) देश में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 'नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी' (National Foundation for Communal Harmony) और 'नेशनल इंटेगरल काउंसिल' (National Integral Council) को सक्रिय किया जाए और इसके तहत सह-अस्तित्व से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, विशेषकर सभी धर्मों के प्रभावशाली लोगों की संयुक्त सभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाए।

(6) यह सभा देश के धर्म गुरूओं, सिविल सोसायटी, मीडिया और राजनीतिक दलों से यह अपील करती है कि वह इस नफरती माहौल को समाप्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं।

(4) स्कूलों में विशेष धार्मिक प्रथाओं की निंदा

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की यह सभा केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा शिक्षा व्यवस्था को भगवा रंग में रंगने और स्कूल में शिक्षारत छात्रों को शिर्क वाले कृत्य करने पर मजबूर करने के प्रयासों की कड़ी निंदा करती है। इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इस्लाम धर्म की बुनियादी आस्था तौहीद (एकेश्वरवाद) पर है और कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता है और न ही किसी ऐसे कृत्य में भाग ले सकता है जो गैर-धार्मिक लोगों की पद्धति और पहचान है। और हमारे देश का संविधान यहां रहने वाले सभी निवासियों को अपनी-अपनी धार्मिक आस्था और प्रथाओं का पालन करने की खुली अनुमति देता है। -

इसलिए, सरकार द्वारा स्कूली छात्र और छात्राओं को सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा, हिंदुआना गीतों, श्लोक या तिलक लगाने पर मजबूर करने का आदेश देना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लंघन है, जिसे मुसलमान या कोई भी न्यायप्रिय भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। जमीअत उलमा हिंद की यह सभा सरकार से अपील करती है कि वह ऐसी सभी उकसावे वाले कृत्यों से दूर रहे, साथ ही यह सभा सभी मुसलमानों से आग्रह करती है कि वह अपने बच्चों और बच्चियों के मन में तौहीद के प्रति विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करें और उनकी ऐसी प्रवृति बनाएं कि वह शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले किसी भी शिर्क वाले कृत्य में भाग न लें और यदि उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाए, तो अपना विरोध दर्ज कराएं और इससे संबंधित अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी उपाय अपनाएं।

(5) समान नागरिक संहिता और संवैधानिक अधिकारों के हनन संबंधी प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन कमेटी की इस सभा का मानना है कि समान नागरिक संहिता पर जिद नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने के षडयंत्र का हिस्सा है, जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य देशप्रेमी वर्गों के लिए भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। जमीअत उलमा-ए-हिंद की यह सभा उत्तराखंड सरकार द्वारा मनमानी करते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने को भी न्याय विरोधी बताती है और केंद्र सरकार और उसके समर्थक दलों से अनुरोध करती है कि वह यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के किसी भी प्रस्ताव का क्रियान्वयन न करें और इस संदर्भ में भारत के विधि आयोग द्वारा दी गई सार्वजनिक सलाह को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें।

सरकारों के सामने एक बार हम इस सच्चाई को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता का सर्वोच्च उदाहरण है, हमारे बहुलतावाद को नजरअंदाज कर जो भी कानून बनाया जाएगा, उसका सीधा प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। यह अपने आप में समान नागरिक संहिता के विरोध का सबसे बड़ा कारण है।

इस अवसर पर समान नागरिक संहिता के बारे में उपरोक्त आशंकओं के साथ, जमीयत उलमा-ए-हिंद की यह सभा सभी मुसलमानों से अपील करती है कि वह इस्लामी शरीयत पर दृढ़ता के साथ डटे रहें। इसके साथ ही समाज में महिलाओं के साथ इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार पूर्ण न्याय सुनिश्चित करें। विरासत के बंटवारे में महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने दें।

यह कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं को तलाक देने और उनके भरण-पोषण के मामले में भी इस्लामी शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण महिलाएं शरिया अदालतों और इस्लामी पंचायतों के बजाय देश की अदालतों का रुख करने पर मजबूर होती हैं जहां फैसले इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। इसके साथ ही मुसलमानों की बड़ी पूंजी और समय देश की अदालतों में बर्बाद होता है। इसलिए, सभी मुसलमानों से अपील की जाती है कि वह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके साथ न्यायोचित व्यवहार के लिए इस्लामी शरिया द्वारा निर्धारित कोड को व्यावहारिक रूप से लागू करें।

(6) मुसलमानों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

आरक्षण का उद्देश्य समाज के उन विशेष वर्गों को, जो विभिन्न कारणों से आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पिछड़े रह गए हैं, विशेष छूट देकर समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाना है। आरक्षण न तो धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए और न ही धर्म के आधार पर रोकना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 16(4) ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देता है जो उचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। इस संबंध में धर्म को आधार बना कर किसी को रोकना बिलकुल भी देश हित में नहीं है।

भारत के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण, भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आरक्षण धार्मिक पहचान के बजाय कुछ समुदायों में पिछड़ेपन पर आधारित है। यह दृष्टिकोण भारत की समानता की विचारधारा, गैर-भेदभाव और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश भर में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों का उत्थान करना है।

इंदिरा साहनी केस (1992) या मंडल कमीशन मामले ने पिछड़े वर्गों को उप-श्रेणियों जैसे पिछड़ा, अधिक पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में वर्गीकृत करने के लिए न्यायिक समर्थन प्रदान किया है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस न्यायिक फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं।

इस सिद्धांत के तहत जब हम व्यवहारिक रूप में मूल्यांकन करते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग के साथ निरंतर अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों में जो जातियां और समुदाय अनुसूचित जाति के समान हैं, उनको धर्म के आधार पर आरक्षण की सुविधा से वंचित रखा गया है। अनुच्छेद 341 के तहत मुसलमानों और ईसाइयों के साथ निरंतर अन्याय किया जा रहा है। यहां तक कि अगर कोई अनुसूचित जाति का हिंदू व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर के ईसाई या मुस्लिम बन जाए, तो उससे आरक्षण के तहत मिलने वाली छूट छीन ली जाती है। यह धार्मिक भेदभाव का अत्यंत दुखद उदाहरण है। जमीअत उलमा-ए-हिंद की यह महासभा सरकार से मांग करती है कि धारा 341 में संशोधन कर के धर्म की पाबंदी को समाप्त किया जाए।

इसी तरह केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में कई मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। ओबीसी कोटा का मानदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। इस कोटा में कर्नाटक द्वारा मुस्लिम ओबीसी के लिए आरक्षित चार प्रतिशत सब-कोटा, इसी तरह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में आरक्षित कोटा को संवैधानिक अधिकार के अनुरूप बताते हुए जमीअत उलमा-ए-हिंद अन्य राज्यों की सरकारों से मांग करती है कि वह इस अनुकरणीय पहल को अपनाएं और इस संबंध में किसी भी राजनीतिक दबाव की परवाह न करें।

(7) सरकार की नई नीतियों के संदर्भ में मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

सच्चर कमेटी सहित कई पुरानी और हालिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि मुसलमान इस देश में शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हैं, जिसमें स्कूलों में प्रवेश दर में कमी, स्कूल छोड़ने की ज्यादा दर, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच इत्यादि मुख्य कारण हैं। बुनियादी रूप से मुस्लिम क्षेत्र में शैक्षणिक ढांचे और संसाधनों की कमी इन चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। इसी तरह, मुसलमानों में आर्थिक पिछड़ापन जग-जाहिर है, विशेष रूप से कम आय स्तर, उच्च बेरोजगारी दर और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच बड़ी समस्याएं है। भेदभावपूर्ण रवैया, पूंजी तक पहुंच में कमी समेत सरकारी बाधाएं आर्थिक विकास के उद्देश्य को और मुश्किल बना रहे हैं।

हालांकि सरकार की नई नीतियां समावेशी विकास पर जोर देती हैं और उनका उद्देश्य सभी समुदायों में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है लेकिन इसके बावजूद उनके लाभ से मुस्लिम समुदाय कई कारणों से वंचित है। हालांकि वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पर यदि कौशल विकास के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो मुस्लिम समुदाय की गरीबी को दूर किया जा सकता है।

इस संदर्भ में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि

1. मुस्लिम केंद्रित क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित किए जाएं। पारंपरिक और उभरते हुए, दोनों उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुस्लिम समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
2. इच्छुक मुस्लिम उद्यमियों को माइक्रोफाइनेंस, ब्याज मुक्त ऋण और व्यवसाय विकास सेवाएं प्रदान की जाएं। मुस्लिम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी की जाए।
3. मुस्लिम समुदाय को उपलब्ध सरकारी योजनाओं और उन तक पहुंच के तरीकों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाए। शैक्षिक और आर्थिक पहल को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम समुदाय के संगठनों, धार्मिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की जाए।
4. साथ ही हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि वह अपने युवाओं को अधिक से अधिक व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर नौकरी के बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराने की कोशिश करें ताकि वह न केवल अपने लिए हितकारी हों बल्कि देश के सामने मौजूद बेरोजगारी की चुनौती को कम करते हुए दूसरे लोगों को नौकरी देने का माध्यम बनें।
5. शादी-विवाह और अपने सामाजिक जीवन में फिजूलखर्ची से बचें और सादा जीवन जीने की आदत डालें।
6. हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती शैक्षिक पिछड़ापन है, इसलिए हमारा सारा धार्मिक और सांसारिक विकास शिक्षा पर ही आधारित है, मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, भले ही इसके लिए उन्हें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े।
7. महिला शिक्षा के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं, लड़कियों के लिए विशेष संस्थाएं न होने के कारण या तो हमारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या फिर उन्हें को-एड (लड़के-लड़िकयों के एक साथ पढ़ने) वाले शिक्षण संस्थाओं में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके नैतिक और धार्मिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके समाधान के लिए जरूरी है कि लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

(8) मुस्लिम अवकाफ के संरक्षण के उपायों पर विचार

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की यह सभा वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सांप्रदायिक तत्वों और सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही घृणित साजिश और धोखाधड़ी की कड़ी निंदा करती है और यह स्पष्ट करना चाहती है कि वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों द्वारा गरीब और वंचित वर्ग के भरण-पोषण और धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वक्फ की गई हैं। न वह अतीत में किसी भी सरकार द्वारा हड़पी गई संपत्ति हैं, न ही वर्तमान सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं, और न ही इन संपत्तियों को वक़िफ़ (वक्फ करने वाले) की मंशा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है।

इसलिए, जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा वक्फ अधिनियम को समाप्त करने के किसी भी प्रयास को मातृभूमि के कल्याण और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हड़पने की साजिश मानते सरकार का ध्यान आकर्षित करती है कि वह संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वक्त की संपत्ति का बेहतर लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर तत्काल ध्यान केंद्रित करे।

(1) लिमिटेशन एक्ट 1963 से वक्फ संपत्तियों को कम से कम 1857 से छूट दी जाए, ताकि उन सभी वक्फ संपत्तियों की बहाली संभव हो जिन पर विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों ने कब्जा कर रखा है।

(2) सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों को किराया कानूनों से छूट दी जाए।

(3) जिन स्थानों पर वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो सका है तथा जहां अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, वहां तत्काल वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। सभी वक्फ बोर्ड कार्यालयों में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर भारतीय अवकाफ सेवाओं का एक विशेष कैडर बनाया जाए।

(4) अवकाफ की प्रभावकारिता और पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संबंध में स्थापित वक्फ विकास निगम को सक्रिय करके उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं और जल्द से जल्द की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की जाए।

(5) अवकाफ विभाग और पुरातत्व विभाग के प्रबंधन में आने वाली जो वीरान और गैर-आबाद मस्जिदें हैं, बिना देरी किए उनको बहाल किया जाए और उनमें नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही जहां नमाजें हो रही हैं, उनमें नमाज अदा करने से न रोका जाए।

(6) एसजीपीसी की तर्ज पर वक्फ बोर्ड को एक स्वतंत्र संस्था बनाया जाए।

(7) जमीअत उलमा-ए-हिंद की यह सभा सभी मुसलमानों; विशेष रूप से अवकाफ के ट्रस्टियों और प्रबंधन समितियों से अपील करती है कि वह अवकाफ की रक्षा में अपनी धार्मिक और शरयी जिम्मेदारियों को पूरा करें और वित्तीय हेराफेरी और बर्बाद होने के कारणों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

(8) जमीअत उलमा-ए-हिंद सभी मुसलमानों से अपील करती है कि वह वक्फ की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें और वक्फ पर कब्जा करने वाले समूहों के खिलाफ अपने स्तर पर संघर्ष करें।

(9) जमीअत उलमा-ए-हिंद के रचनात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और संगठनात्मक स्थिरता पर प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा-ए-हिंद के रचनात्मक कार्यक्रमों का इतना महत्व है कि उनको अपने बुनियादी संविधान में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर आधारित हैं। यह एक सच्चाई है कि किसी भी संगठन की तरक्की उसके मजबूत संगठन, स्थानीय इकाइयों के विस्तार और रचनात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निर्भर होती है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के रचनात्मक कार्यक्रम व्यापक और प्रभावकारी हैं, जिनमें धार्मिक और सांसारिक शिक्षा और प्रशिक्षण, अर्थशास्त्र, सामाजिक सेवाएं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, और सूचना-प्रसारण और ज्ञान के मामले शामिल हैं। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच सामूहिकता, अपने सभी पदाधिकारियों के बीच सार्वजनिक जिम्मेदारी, अपने हितैषियों में रचनात्मक सोच और गांव से शहर तक के वातावरण में विकास और समृद्धि के लिए कुछ सिद्धांत और तरीके निर्धारित कर दिए थे। जमीअत उलमा-ए-हिंद इन रचनात्मक कार्यक्रमों को एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है और इसके लिए वह संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने निम्नलिखित मामलों को प्रस्तुत कर रही है:

1- रचनात्मक प्रयासों को एक स्थाई विभाग का दर्जा दिया जाए और बुनियादी संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत इसकी स्थाई समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति की जाए ताकि इस विभाग को केंद्रीय स्तर से अनुशासन और विकास प्राप्त हो सके और केंद्रीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन विभाग की स्थापना की जाए जो निर्माण कार्यक्रमों में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्यों की पहचान करे और उसकी प्रक्रिया एवं मसौदा बनाकर सभी संवैधानिक इकाइयों में उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

2. जमीअत उलमा-ए-हिंद अपनी सभी स्थानीय और शहरी शाखाओं को, जिला और राज्य जमीअतों को निर्देशित करती है कि बुनियादी संविधान में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू करने का हर संभव प्रयास करें। साथ ही, अपनी इस कार्रवाई की एक प्रति अधीन जमीअतों को भी भेज कर उनका समर्थन प्राप्त करें।

3. जमीअत उलमा-ए-हिंद अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि अगले कार्यकाल में बुनियादी संविधान के अनुसार ऐसे लोगों को ही पद के योग्य समझें जिन्होंने पिछले कार्यकाल में रचनात्मक कार्यक्रमों में से कम से कम किसी एक कार्यक्रम को लागू किया हो।

4. जमीअत उलमा-ए-हिंद सभी मुसलमानों से भी अपील करती है कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, शैक्षिक गतिविधि, धार्मिक जीवन और आर्थिक कल्याण के लिए हर जगह जमीअत उलमा की शाखाएं स्थापित करें और जमाअती कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग करें।

5. सभी प्रादेशिक और जिला इकाइयों का ध्यान आकर्षित करती है कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं और विभिन्न क्षमताओं के लोगों को जमीएत उलमा-ए-हिंद के साथ जोड़ा जाए।

6. विश्वस्त कर्ता-धर्ता लोगों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा धर्मनिरपेक्ष एवं देशभक्त राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों के सहयोग से सामाजिक कल्याण कार्यों को क्रियान्वित किया जाए।

7. आपसी संपर्क के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को संचार, समन्वय और सूचना के प्रसार के लिए उपयोग किया जाए।

सभी स्थाई समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे।

अध्यक्ष मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी साहब. महासचिव मनोनीत करने का अधिकार जमीयत के अध्यक्ष को दिया गया. सदस्य: मौलाना महमूद असद मदनी साहब, मौलाना मुहम्मद सलमान साहब, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अफ्फान साहब मंसूरपुरी और मौलाना नियाज अहमद फारूकी साहब।

(10) फ़िलिस्तीन और इस्लामी दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर प्रस्ताव अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की यह सभा फ़िलिस्तीन के विरुद्ध इज़रायली युद्ध अपराधों, क्रूर नरसंहार गाजा और पूर्वी येरुशलम सहित क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायली आक्रामकता की कड़ी निंदा करती है। इजराइल गाजा पर हालिया सैन्य अभियान के आरंभ के बाद से बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध नागरिकों और नागरिक आबादियों को निशाना बना रहा है। गाजा में 60 प्रतिशत से अधिक घर नष्ट हो गए हैं। सैकड़ों परिवारों का नामो-निशान मिट गया। गाजा में 17 लाख से अधिक फ़िलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया, जबकि इनमें से अधिकांश पहले से ही शरणार्थी हैं या 1948 के शरणार्थियों के वंशज हैं। दूसरी ओर पत्रकारों, चिकित्सा कर्मियों, एम्बुलेंसों, स्कूलों, इबादतगाहों, विश्वविद्यालयों, शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों के साथ-साथ पानी, बिजली, दूरसंचार और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है।

(1) यह सभा सभी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रतानिया और भारत से मांग करती है कि वह कब्जा करने वाले शासकों को हथियार और गोला-बारूद के निर्यात को बंद करें जो उनकी सेना और जबरन बसे इजरायली आतंकवादी, फिलिस्तीनियों की हत्या करने और उनके घरों, अस्पतालों, मस्जिदों, चर्च और उनकी सभी संपत्तियों को नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। जो देश इज़राइल को हथियार और राजनीतिक सहायता प्रदान करते हैं, वह भी इस नरसंहार में समान रूप से हिस्सदार हैं।

(2) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अभियोजन कार्यालय तत्काल फिलिस्तीनियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार इजरायली अधिकारियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी करे, और जांच का दायरा बढ़ाए और फिलिस्तीन में हुए रक्तपात और नरसंहार के लिए इजराइल पर भारी जुर्माना लगाया जाए और इस दौरान हुई क्षति का हर्जाना वसूल किया जाए।

(3) यह सभा भारत सरकार, अरब लीग और इस्लामी देशों का ध्यान आकर्षित करती है कि वह राजनयिक, राजनीतिक और कानूनी दबाव डालें और मानवता के खिलाफ औपनिवेशिक कब्जे वाले शासकों के अपराधों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाएं और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करते हुए इजराइल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद में सजा दिलाएं।

(4) फिलिस्तीन में हुए रक्तपात और नरसंहार के लिए इजराइल पर भारी जुर्माना लगाया जाए और इस दौरान हुई क्षति का हर्जाना वसूल किया जाए।

(5) यह सभा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करती है कि वह फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए एक गंभीर और वास्तविक प्रयास शुरू करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जे की कोई भी कोशिश या विभाजन स्वीकार्य नहीं है।

(11) असम लैंड पॉलिसी के संबंध में प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा

(1) प्रबंधन समिति के सदस्य असम लैंड पॉलिसी 2019 के तहत भूमि से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बेदखल करने को असंवैधानिक मानते हैं। यह सभा केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती है कि वह असमिया निवासियों के बीच समानता के सिद्धांत को बनाए रखते हुए इस धारा को समाप्त करें और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को उनके उचित अधिकारों से वंचित न करें, जबकि एक शताब्दी से अधिक समय से यह भूमि उनके कब्जे में चली आ रही है।
(2) यह सभा एनआरसी असम को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद अब तक इसे प्रकाशित नहीं किए जाने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। ज्ञात हो कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में सरकारी खजाने के 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए और जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज की यह सभा केंद्र सरकार के साथ-साथ भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मांग करती है कि वह एनआरसी के प्रकाशन के लिए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी करें।

(9) शोक प्रस्ताव

अवसरः 4-5 जुलाई 2024 को जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति की सभा
जमीअत उलमा-ए-हिंद की यह महासभा देश और विदेश की सम्मानित और महत्वपूर्ण हस्तियों के इंतेकाल पर दुख व्यक्त करती है और मगफिरत और उनके दर्जात को बुलंद करने की दुआ करती है। विशेष रूप से मुर्शिद-ए-मिल्लत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं नाजिम दारुल उलूम नदवत-उल-उलमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ किछौछवी सज्जादा नशीन खानकाह मखदूम अशरफ किछौछा शरीफ, जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष अल्हाज मौलाना डॉ. मोहम्मद अख्तर कासमी पूर्व विधानसभा सदस्य, हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब कासमी (अध्यक्ष जमीअत उलमा मराठवाड़ा और मोहतमिम जामिया अशरफिया ऊदगीर जिला लातूर), जामिया मजाहिर उलूम के अमीन-ए-आम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब सहारनपुरी, जमीएत उलमा-ए-हिंद के पूर्व महासचिव और अमीर शरीयत यूपी हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, इमारत-ए-शरिया हिंद के पूर्व नाजिम और सदर-उल-मुदर्रेसीन जामिया महमूदिया अशरफ-उल-उलूम जाज मऊ कानपुर मौलाना मुफ्ती असदुद्दीन कासमी, दारुल उलूम देवबंद के पूर्व नाजिम-ए-तालीमात और हदीस के उस्ताद हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अहमद फैजाबादी, मुहद्दिस कबीर अमीरुल हिंद अव्वल हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी के बेटे हज़रत मौलाना रशीद अहमद आज़मी, संसद सदस्य और वरिष्ठ राजनीतिक नेता शफीकुर्रहमान बर्क, हकीम ताजुद्दीन हाशमी अमरोहा, प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक नेता मुख्तार अंसारी ग़ाज़ीपुर, जमीअत उलमा-ए-हिंद के पूर्व नाजिम कार्यालय मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान कासमी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला इब्राहीम रईसी, जमीअत उलमा नेपाल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब सिद्दीकी, जमीअत उलमा प्रतापगढ़ के नाजिम हजरत मौलाना फारूक साहब कासमी, प्रोफेसर डॉ. सैयद मोहम्मद तारिक हसन साहब मोहतमिम मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद अमरोहा, मौलाना दाऊद अमीनी साहब के भाई हाफिज सईद, कारी अलाउद्दीन साहब की अहलिया साहिबा, हजरत मौलाना काका सईद अहमद

उमरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ट्रस्टी जनरल जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, मुफ्ती इमरानुल्लाह साहब कासमी दारुल उलूम देवबंद की वालिदा साहिबा, मौलाना अखलाक साहब कासमी प्रतापगढ़ की वालिदा साहिबा, मियांजी मोहम्मद इब्राहीम साहब फलौदी राजस्थान, हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब, हजरत मौलाना सालेह साहब भागलपुर, अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब अमीनी पूर्व शेख-उल-हदीस मदरसा मोइनुल इस्लाम नूह और दारुल उलूम मेवात, मौलाना रमज़ान साहब अलवर, अब्दुल जब्बार साहिब जोया की वालिदा साहिबा, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब दौताई, मौलाना शेख आदम साहब लीसेस्टर यूके, मौलाना मोहसिन आज़म साहब संयोजक जमीअत उलमा हिंद की वालिद साहब, मुफ्ती नजर-उल-बारी साहब नदवी दरभंगा के वालिद साहब, उस्ताज अल-क़रा मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब भागलपुरी, मौलाना रफीक अहमद साहब कासमी प्रतापगढ़ की वालिदा साहिबा, वदूद साजिद साहब संपादक इंकलाब अखबार की वालिदा साहिबा, मौलाना मेराज साहब देवबंद, मौलाना कलीमुल्लाह खान साहब की अहलिया साहिबा, मौलाना सईद अहमद साहब यूके की वालिदा साहिबा, अल्हाज बजिलुर्रहमान साहब अररिया, हजरत मौलाना हनीफ साहब अमरपुरी, मौलाना सोहेल अहमद नदवी साहब नायब नाजिम इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड ओडिशा, हाफिज बशीर साहब असम की अहलिया साहिबा, दैनिक सियासत हैदराबाद के प्रबंध संपादक जहीरुद्दीन अली खान साहब, मौलाना मुफ्ती हसन साहब लोनी के वालिद साहब, मौलाना मोहम्मद हामिद साहब बागोंवाली के वालिद साहब, हाफिज अब्दुलर्रशीद साहब पुरानी दिल्ली, मुफ्ती अजीजुर्रहमान साहब चम्पारणी इत्यादि।